छुट्टी नियम

छुट्टी एक नजर में

उत्पत्ति

1. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, **1972** दिनांक **01** जून, **1972** से प्रभाव में आए। ये संविधिक नियम छुट्टी प्रदान किए जाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं केवल उन कर्मचारियों को छोडकर, जो अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं, जैसे रेलवे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं आदि के सदस्य। इन अपवादों का ब्योरा इन नियमों के नियम (**2**) पर उपलब्ध है।

छुट्टी के प्रकार

2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम **1972** में विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दी गई हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है। सरकार की नीति के अनुसार **छुट्टी सरकारी कर्मचारी के 'छुट्टी खाते' में आधे वर्ष (क्रमशः** 01 **जनवरी और** 01 **जुलाई को) के लिए अग्रिम रूप से जमा (क्रेडिट) की जाती है** और सरकारी कर्मचारी द्वारा जब कभी छुट्टी ली जाती है तो छुट्टी डेबिट की जाती है। तथापि, कुछ 'विशेष प्रकार की छुट्टिया' होती हैं जिन्हें छुट्टी खाते में डेबिट नहीं किया जाता है। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दर्शाई गई हैं और यह भी बताया गया है कि वे व्यक्तिगत छुट्टी खाते में डेबिट होती हैं अथवा नहीं।

क्र.सं.	**छुट्टी के प्रकार**	**छुट्टी खाते में नामे-योग्य (डेबिट योग्य)/नामे योग्य नहीं**
1.	अर्जित छुट्टी (ईएल)	नामे योग्य (डेबिट योग्य)
2.	अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल)	नामे योग्य (डेबिट योग्य)
3.	परिवर्तित छुट्टी	-वही-
4.	अदेय छुट्टी (एलएनडी)	-वही-
5.	असाधारण छुट्टी (ईओएल)	-वही-
6.	प्रसूति छुट्टी	नामे योग्य नही (डेबिड योग्य नहीं)

7.	पैतृत्व छुट्टी	-वही-
8.	शिशु देखभाल छुट्टी	-वही-
9.	अध्ययन छुट्टी	-वही-
10.	विशेष अशक्तता छुट्टी	-वही-
11.	नाविकों (seaman) की बीमारी छुट्टी	-वही-
12.	अस्पताली छुट्टी	-वही-
13.	विभागीय छुट्टी	-वही-

क्र.सं. 6-13 पर दी गई छुट्टी के प्रकारों को 'विशेष प्रकार की छुट्टी' कहा जाता है।

3. **आकस्मिक छुट्टी/प्रतिबंधित छुट्टी/प्रतिपूरक छुट्टी/विशेष आकस्मिक छुट्टी**

3.1 ये नियमित प्रकार की छुट्टिया नहीं है और इसलिए के.सि.से. छुट्टी नियम 1972 में शामिल नहीं होती हैं। इन श्रेणियों में अनुपस्थिति या प्रत्याशित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। यह हमेशा उचित है कि छुट्टी की पूर्व मंजूरी ली जाए जब तक कि यह अचानक और पूर्णतः अप्रत्याशित न हो।

3.2 आकस्मिक छुट्टी/प्रतिबंधित छुट्टियां/प्रतिपूरक छुट्टियां/विशेष आकस्मिक छुट्टी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होती हैं। इन अनुपस्थितियों की मुख्य विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई हैः-

प्रवाण्य च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

- **आकस्मिक छुट्टी** के संबंध में किसी वर्ष विशेष में पात्रता सामान्य व्यक्ति के लिए इस समय 8 दिन है तथा **विकलांग व्यक्तियों के संबंध में यह 12 दिन है।** केवल यही छुट्टी है जो आधे दिन के लिए ली जा सकती है।
- एक कैलेंडर वर्ष विशेष में कोई सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से सरकार द्वारा परिचालित प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में से अधिकतम दो दिन की **प्रतिबंधित छुट्टी** ले सकता है।
- कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी के दिन कार्य करने के बदले प्रतिपूरक छुट्टी ले सकता है बशर्ते कि उस दिन के लिए कोई अन्य वित्तीय प्रोत्साहन (समयोपरि भत्ता/मानदेय) मंजूर न किया गया हो। सामान्यतः यह छुट्टी एक माह के भीतर ले ली जानी चाहिए और उस स्थिति में प्रतिपूरक छुट्टियों की संख्या की कोई

सीमा नहीं होती। यदि एक माह के भीतर यह छुट्टी न ली जा सकी हो तो सरकारी कर्मचारी प्रशासन/विभागाध्यक्ष प्रभारी संयुक्त सचिव की विशेष अनुमति से अगले महीने अधिकतम दो प्रतिपूरक छुट्टियां ले सकता है।

❖ **<u>विशेष आकस्मिक छुट्टी</u>** किसी सरकारी कर्मचारी को किसी राष्ट्रीय खेल/सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने, परिवार नियोजन, प्राकृतिक आपदा, बंद आदि के लिए मंजूर की जाती है।

4. सामान्य शर्तें

i) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

नियम 7(1)

ii) लोकहित में छुट्टी अस्वीकार, कम अथवा रद्द की जा सकती है।

iii) **देय, और आवेदित छुट्टी के प्रकार को संगठन द्वारा बदला नही जा सकता।** इसे केवल सरकारी कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर ही बदला जा सकता है।

नियम 7(2)

iv) **सरकारी सेवा से बरखास्त होने अथवा हटाए जाने अथवा त्यागपत्र देने की तारीख से खाते में जमा छुट्टी का कोई भी दावा समाप्त हो** जाता है । तथापि, पूर्वानुमति से भारत सरकार के अधीन किसी बाह्य पद पर नियुक्ति लेने के लिए दिए गए तकनीकी त्याग-पत्र से जमा छुट्टियां समाप्त नहीं होती हैं।

नियम 9(2)

v) पुनर्नियोजित पेंशनर जो प्रतिपूर्ति पेंशन अथवा अमान्य पेंशन/ग्रेच्युटी पर सेवानिवृत्त हुए हैंउनकी पिछली सेवा की गणना छुट्टी के लिए भी की जाएगी यदि इस पिछली सेवा की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की गई हो।

vi) छुट्टी को **पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है जो छुट्टी मंजूर करने के समय देय और स्वीकार्य थी।** ऐसे परिवर्तन करने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं। **तथापि, ऐसे परिवर्तनों के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।** छुट्टी में परिवर्तन से सरकारी कर्मचारी को अंतिम रूप से मंजूर छुट्टी के आधार पर छुट्टी वेतन का समायोजन करना आवश्यक होगा।

नियम 10(1)

vii) किसी भी छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। विशेष आकस्मिक छुट्टी और प्रतिबंधित छुट्टी को भी नियमित अथवा आकस्मिक छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है परन्तु दोनों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। सामान्य स्थितियों में, आकस्मिक छुट्टी को नियमित छुट्टी के साथ नही जोडा जा सकता। **तथापि, किसी विशेष मामले में अपराह्न में 1/2 दिन की आवेदित आकस्मिक छुट्टी को नियमित छुट्टी से पहले जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है यदि कर्मचारी के पास और कोई आकस्मिक छुट्टी बकाया न हो और वह बीमारी अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अगले कार्य दिवस को ड्यूटी पर आने में असमर्थ हो और उसे नियमित छुट्टी लेनी पड़ रही हो।**

viii) किसी सरकारी कमचारी को केवल विशेष मामलों में राष्ट्रपति के अनुमोदन से मंजूरी को छोड़कर, पांच वर्ष की लगातार अवधि से अधिक अवधि के लिए किसी प्रकार की छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकती।

नियम 12(2)

ix) ऐसे सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती जिसको सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी ने सरकारी सेवा से बरखास्त करने, हटाए जाने अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय ले लिया हो। इसके अलावा, **उस सरकारी कर्मचारी को भी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी जो निलंबनाधीन हों।**

5. **छुट्टी प्रदान किया जाना और छुट्टी से वापसी**

(1) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी (नियम **19)**

क) यदि के.स.स्व.से लाभभोगी है तो के.स.स्व.से डाक्टर अथवा एएमए/सरकारी अस्पताल द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जानी चाहिए।

ख) संदेह की स्थिति में सिविल सर्जन/स्टॉफ सर्जन से दूसरी चिकित्सा राय ली जा सकती है।

ग) तीन दिन तक की छुट्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्वेच्छा निर्णय से चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जाना छोड़ा जा सकता है ।

घ) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी को स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही ड्यूटी ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(2) छुट्टी के साथ अवकाश को जोड़ना (नियम 22)

क) अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश और प्रतिपूरक छुट्टी को परिवर्तित छुट्टी सहित किसी भी प्रकार की छुट्टी के पहले/बाद में जोड़ा जा सकता है ।

ख) छुट्टी से पहले/बाद में जोड़े गए अवकाश को वेतन और भत्तों के आहरण के प्रयोजनार्थ ड्यूटी माना जाना चाहिए ।

(3) छुट्टी की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर वापस बुलाना (नियम 23)

(I) भारत में छुट्टी से

क) सरकारी कर्मचारी को उस तारीख से ड्यूटी पर माना जाएगा जिस तारीख से कार्य ग्रहण करने के लिए आदेशानुसार दिए गए स्टेशन के लिए प्रस्थान करता है ।

ख) वापस बुलाए जाने पर छुट्टी के स्थान से तैनाती के स्थान की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता ।

ग) छुट्टी वेतन उसी दर पर जब तक कि वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता ।

(II) भारत से बाहर (विदेश) से छुट्टी

क) भारत आने के लिए समुद्र यात्रा में लगा समय छुट्टी की गणना के प्रयोजनार्थ ड्यूटी माना जाएगा।

ख) छुट्टी वेतन उसी दर पर जब तक कि वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

ग) भारत आने के लिए निशुल्क यात्रा

घ) भारत आने के लिए उतरने की जगह (place of landing) से ड्यूटी स्थान तक का यात्रा भत्ता।

ङ) यदि उसने छुट्टी की आधी अवधि अथवा तीन माह, जो भी कम हो, पूरी नहीं की हो तो भारत से उसके यात्रा व्यय की वापसी।

(4) मंजूर की गई छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहना नियम 25(1)

क) कोई सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी समाप्त होने के बाद भी अनुपस्थित रहता है, वह अनुपस्थिति की उस अवधि को छुट्टी की मंजूरी द्वारा विनियमित नहीं किए जाने पर, छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होता है।

ख) ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को देय अर्ध वेतन छुट्टी के विरूद्ध डेबिट किया जाता है और यदि उससे अधिक हो तो उसे असाधारण छुट्टी माना जाता है।

ग) जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

घ) ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को पेंशन के लिए अर्हक सेवा और वेतनवृद्धि के लिए ड्यूटी नहीं माना जाता।

ङ) तथापि, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि से धारणाधिकार □लियन□ की हानि नहीं होती।

च) छुट्टी की मंजूरी के बिना अनुपस्थिति की अवधि को अप्राधिकृत अनुपस्थिति माना जाता है और इससे अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है। सक्षम प्राधिकारी अप्राधिकृत छुट्टी को अकार्य दिवस घोषित कर सकता है जिससे सेवा में व्यवधान हो सकता और इसलिए पेंशन आदि का नुकसान हो सकता है।

6. **<u>एक प्रकार की छुट्टी को पूर्वव्यापी प्रभाव से दूसरी प्रकार की छुट्टी में बदलना नियम 10(1)</u>**

सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी को बाद में निम्नलिखित शर्तो पर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है:-

क) छुट्टी की प्रारंभिक मंजूरी के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा परिवर्तन के लिए आवेदित प्रकार की छुट्टी देय और स्वीकार्य होनी चाहिए।

ख) सरकारी कर्मचारी को ऐसी छुट्टी लेने के बाद कार्यालय में कार्यग्रहण करने के 30 दिन के भीतर छुट्टी में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

7. **अर्जित छुट्टी (नियम 26)**

पात्रताः प्रति वर्ष की **01** जनवरी और **01** जुलाई को **15** दिन की अग्रिम छुट्टी जमा। छुट्टी के किसी भी अंश को पूरा दिन मान लिया जाना चाहिए।

कटौतीः अर्जित छुट्टी इस शर्त पर जमा (क्रेडिट) की जाती है कि अकार्य दिवस मानी गई असाधारण/अनुपस्थिति की अवधि के लिए बाद के अर्ध वर्ष पर अधिकतम **15** दिन के अध्यधीन **1/10** की दर की कटौती की जाए।

<u>संबद्ध अर्ध वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश का जमा किया जानाः</u>

(क) नियुक्ति पर 2 1/2 दिन प्रति पूर्ण कैलेंडर माह (पीसीसीएम)

(ख) सेवानिवृत्ति पर 2 1/2 दिन सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रति पूर्ण माह कैलेंडर माह

(ग) त्यागपत्र पर/मृत्यु हो जाने पर 2 1/2 दिन त्यागपत्र/मृत्यु की तारीख तक प्रतिपूर्ण कैलेंडर माह

(घ) बर्खास्ती /हटाए जाने 2 1/2 दिन प्रति पूर्ण कैलेंडर माह पूर्व कैलेंडर माह के अंत तक

<u>अधिकतम अर्जित छुट्टी जमाः</u> **300 दिन (+15) दिन**

<u>अगले अर्ध-वर्ष में अधिकतम अग्रेनीत छुट्टीः</u> **300 दिन**

किसी एक समय पर मंजूरी: 180 दिन। तथापि, ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों को एक बार में 300 दिन तक की अर्जित छुट्टी मंजूर की जा सकती हैं यदि कम से कम 180 दिन की अवधि भारत सरकार से बाहर बंग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बर्मा (म्यांमार) में बिताई गई हो।

छुट्टी वेतन : अर्जित छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन

लेखा : प्रत्येक अर्ध वर्ष के अंत में निकली शेष छुट्टी को अगले अर्ध-वर्ष में अग्रेनीत किया जाना चाहिए। तथापि, अप्रयुक्त कार्यग्रहण समय, जहां कहीं इसे माना जाता हो, को शेष छुट्टी में जोडा जाना चाहिए और कुल छुट्टी सीमा 300 दिन तक होनी चाहिए।

8. अर्ध वेतन छुट्टी (नियम 29)

पात्रता : प्रत्येक वर्ष **01** जनवरी और **01** जुलाई को **10** दिन अग्रिम जमा। अर्ध वेतन छुट्टी क्रेडिट की गणना प्रति पूर्ण कैलेंडर माह **5/3** दिनों की दर पर की जानी चाहिए।

कटौती : अर्ध वेतन छुट्टी इस शर्त पर जमा (क्रेडिट) की जानी चाहिए कि अकार्य दिवस मानी गई अनुपस्थिति की अवधि के **1/18** की दर पर अर्ध वर्ष के दौरान अधिकतम **10** दिन तक की कटौती की जाएं।

अर्ध वर्ष के दौरान अर्ध वेतन छुट्टी जमा (क्रेडिट):

(क) नियुक्ति पर : 5/3 दिन प्रतिपूर्ण कैलेंडर माह

(ख) सेवानिवृत्ति पर : 5/3 दिन सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रतिपूर्ण कैलेंडर माह

(ग) त्यागपत्र पर/मृत्यु हो जाने पर : 5/3 दिन त्यागपत्र/मृत्यु की तारीख तक प्रति पूर्ण कैलेंडर माह

(घ) बर्खास्तगी/हटाए जाने पर: 5/3 दिन पूर्ण कैलेंडर माह के अंत तक प्रतिपूर्ण कैलेंडर माह

छुट्टी वेतन: अर्ध वेतन छुट्टी पर जाने के तत्काल पूर्व आहरित अर्ध वेतन और उस पर उचित मंहगाई भत्ता परन्तु मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पूर्णदरों पर ।

लेखाः शेष छुट्टी की गणना प्रत्येक अर्ध वर्ष के अंत में की जानी चाहिए और निम्नलिखित को डेबिट किया जाना चाहिए:

- ली गई अर्ध वेतन छुट्टी
- ली गई परिवर्तित छुट्टी का दोगुना
- ली गई अदेय छुट्टी

9. **परिवर्तित छुट्टी (नियम 30)**

<u>पात्रता</u> : देय अर्ध वेतन छुट्टी के आधे से अधिक नहीं।

<u>छुट्टी वेतन</u>: अर्जित छुट्टी के दौरान स्वीकार्यता के समान।

<u>खाता</u> : ली गई परिवर्तित छुट्टी की दोगुनी छुट्टी खाते में जमा बकाया अर्ध वेतन

छुट्टी से डेबिट की जानी चाहिए।

शर्तें :

- ❖ यह सामान्यतया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मंजूर की जाती है।
- ❖ **लोकहित में प्रमाणित किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 90 दिन तक की परिवर्तित छुट्टी (अर्थात् 180 दिन अर्धवेतन छुट्टी) और किसी महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे के जन्म के लिए प्रसूति छुट्टी के अनुक्रम में 60 दिन तथा बच्चा गोद लेने के बाद परिवर्तित छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मंजूर की जा सकती हैं।**
- ❖ छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी पर लौटने की यथोचित संभावना होनी चाहिए।
- ❖ अर्जित छुट्टी देय होने पर भी सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर उसे परिवर्तित छुट्टी प्रदान किए जाने पर कोई रोक नहीं है।

छुट्टी समाप्त होने पर ड्यूटी पर न लौटने पर कार्रवाईः यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे बिना त्याग पत्र दे देता हैं अथवा उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती हैं तो परिवर्तित छुट्टी को अर्धवेतन छुट्टी माना जाएगा और अधिक आहरित छुट्टी वेतन की वसूली की जाएगी। अयोग्य ठहराए जाने अथवा मृत्यु की स्थिति में कोई वसूली प्रभावी नहीं होगी।

10. अदेय छुट्टी (नियम 31)

पात्रता: (क) स्थायी सरकारी कर्मचारी

(ख) अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिनकी कम से कम एक वर्ष की सेवा हो और जो टी.बी., कुष्ठ रोग, कैंसर अथवा मानसिक रोग से पीडित हों।

<u>शर्तें</u>: केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही। बच्चे के जन्म के लिए प्रसूति छुट्टी के अनुक्रम में तथा बच्चा गोद लेने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र की अवश्यकता नहीं हैं।

अधिकतम अवधि: संपूर्ण सेवाकाल के दौरान 360 दिन

<u>अदेय छुट्टी की समाप्ति पर त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति पर कार्रवाई</u>

<u>ड्यूटी पर लौटे बिना</u>

- ❖ त्याग पत्र अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति अदेय छुट्टी की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।
- ❖ अदेय छुट्टी रद्द हो जाएगी।
- ❖ अदा किए गए छुट्टी वेतन की वसूली की जाएगी।

ड्यूटी पर लौट आना परन्तु बाद में त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति

- ❖ यदि वह अदेय छुट्टी की अवधि को पूरा करने के लिए अपेक्षित छुट्टी अर्जित नहीं कर सका तो छुट्टी वेतन की बकाया राशि वापस की जानी चाहिए।

<u>अदेय छुट्टी के मामले में छुट्टी वेतन की वसूली नहीं की जाएगी जब:</u>

- ❖ अस्वस्थता के कारण आगे सेवा के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर
- ❖ मृत्यु हो जाने की स्थिति मे
- ❖ यदि सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 48(1)(ख) के अधीन सरकार द्वारा समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई हो अथवा मूल नियम 56(ञ) के अधीन सेवानिवृत्त हुए हों।

11. **असाधारण छुट्टी (नियम 32)**

पात्रता: विशेष परिस्थितियां

- ❖ कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य न हो अथवा
- ❖ अन्य छुट्टी स्वीकार्य हो परन्तु सरकारी कर्मचारी लिखित रूप में असाधारण छुट्टी प्रदान किए जाने का आवेदन करे।

हकदारी:

- ❖ स्थायी **सरकारी कर्मचारी- कोई सीमा नहीं** (लगातार अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है)
- ❖ अस्थायी सरकारी कर्मचारी - एक बार में 3 माह
- ❖ एक वर्ष की लगातार सेवा वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी 6 माह, चिकित्सा म्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बशर्ते कि तीन माह की असाधारण छुट्टी सहित अन्य सभी प्रकार की छुट्टी ले ली हो।
- ❖ एक वर्ष की लगातार सेवा वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी-18 माह, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर और किसी मान्याप्राप्त आरोग्य-विकास (सेनेटोरियम) में फुप्फुस क्षय रोग (पल्मोनरी

टीबी) क्षय रोग उत्पत्ति के फुफ्फसावरण-शोथ (प्लूरिसी ऑफ टयूबरकुलर ओरिजिन) कुष्ठ रोग, कैंसर और मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा हो।

- ❖ तीन वर्ष की लगातार सेवा वाले सरकारी कर्मचारी को लोकहित में प्रमाणित अध्ययन जारी रखने के लिए **24 माह** की असाधारण छुट्टी प्रदान की जा सकती है। यह छुट्टी तभी प्रदान की जा सकती है जब वह इस प्रयाजनार्थ तीन माह की असाधारण छुट्टी पहले ही ले चुका हो।

अन्य शर्तें:

- ❖ उपर्युक्त सीमाओं में अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा समयसमय पर अधिसूचित केन्द्रों पर परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
- ❖ तथापि, दो अलग-अलग अवसरों पर ली गई असाधारण छुट्टी जिसके बीच में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी ली गई हो, को इन सीमाओं के प्रयोजनार्थ असाधारण छुट्टी की एक लगातार अवधि माना जाएगा।

पूर्वव्यापी प्रभाव से परिवर्तन:

- ❖ छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है।
- ❖ चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अथवा अन्यथा प्रदान की गई असाधारण छुट्टी को पूर्वव्यापी प्रभाव से अदेय छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते कि संगत समय पर उसकी स्वीकार्यता हो।

छुट्टी वेतन: **शून्य**

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस:

चूंकि चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अथवा अन्यथा असाधारण छुट्टी को सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा छुट्टी नहीं माना जा सकता इसलिए यह सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए दिए नोटिस की अवधि के साथ-साथ नहीं चल सकती ।

12. प्रसूति छुट्टी (नियम 43)

पात्रता: महिला सरकारी कर्मचारी

अवधिः 2 **जीवित बच्चों से कम बच्चे होने पर शिशु जन्म/गोद लेने (एक वर्ष की आयु तक) के लिए** 180 **दिन । गर्भपात/गर्भस्राव के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर और घटना हो जाने के बाद, संपूर्ण सेवाकाल में एक बार** 45 **दिन ।**

अनुक्रम में छुट्टी:

शिशु जन्म के लिए प्रसूति छुट्टी के अनुक्रम में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के **60** दिन की परिवर्तित छुट्टी और अदेय छुट्टी सहित अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए देय और स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी प्रदान की जा सकती है । इस प्रकार की सुविधा गर्भपात और गर्भस्राव के लिए प्रसूति छुट्टी के मामले में स्वीकार्य नहीं होती ।

छुट्टी वेतन: प्रसूति छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन ।

बच्चा गोद लेने पर छुट्टी (नियम 43-**ख)**

दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को प्रदान की जाती है, एक वर्ष से कम के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने के लिए, गोद लेने की तारीख के शीघ्र बाद 180 दिन के लिए प्रदान की गई है । बच्चा गोद लेने की छुट्टी के अनुक्रम में देय और स्वीकार्य छुट्टी को (बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अधिकतम 60 दिन की परिवर्तित छुट्टी तथा अदेय छुट्टी सहित) अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जिसमें बच्चा गोद लेने की छुट्टी की अवधि की गणना किए बिना वैध गोद लेने की तारीख को गोद लिए बच्चे की आयु से घटा दिया गया हो, के साथ मिलाया जा सकता है ।

13. शिशु देखभाल छुट्टी

13.1 छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने महिला कर्मचारियों **जिनके बच्चे** 18 **वर्ष से कम के हों (अशक्तता वाले बच्चों के मामले में बिना किसी आयु सीमा के)** अधिकतम **दो** बच्चों का पालन-पोषण करने अथवा परीक्षा, बीमारी आदि के समय उनकी देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 2 **वर्ष (अर्थात 730 दिन)** की अवधि की शिशु देखभाल छुट्टी

दी जा सकती है ।

13.2 तथापि, **सीसीएल हक के तौर पर नहीं मांगी जा सकती ।** कोई कर्मचारी किसी भी हालत में छुट्टी मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा छुट्टी के लिए उचित पूर्व अनुमति के बिना सीसीएल पर नहीं जा सकता।

13.3 इस छुट्टी को अर्जित अवकाश की तरह माना जाता है और इसी तरह स्वीकृत कराई जाती है। छुट्टी की अवधि के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार, राजपत्रित छुट्टियॉं आदि सीसीएल के रूप में गिनी जाएगी जैसीकि अर्जित अवकाश के मामले में होता है ।

13.4 सीसीएल केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य है । सीसीएल का छुट्टी लेखा निर्धारित प्रोफार्मा में रखा जाएगा और उसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवापुस्तिका के साथ रखा जाए । **एक**

कैलेंडर वर्ष में तीन ऐसे एकल स्पेल की अनुमति है। सीसीएल के दौरान एलटीसी लिया जा सकता। सामान्य तौर पर, विशिष्ट मामलों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दी जा सकती ।

14. **पितृत्व छुट्टी (नियम** 43-**क)**

पात्रताः पुरूष सरकारी कर्मचारी

शर्तेंः

पहलीः दो जीवित बच्चों से कम बच्चे होने की स्थिति में **पत्नी की प्रसूति के दौरान अर्थात** 15 **दिन पूर्व अथवा बच्चे के जन्म के छह माह की अवधि के भीतर ।** इस छुट्टी को किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है ।**(**जैसा प्रसूति छुट्टी के मामले में है)। यदि यह छुट्टी नहीं ली जाती है तो**,** इसे व्यपगत माना जाएगा । आम तौर पर इसे अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

दूसरीः एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लेने पर तथा सरकारी कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों ।

छुट्टी की अवधिः 15 दिन

छुट्टी वेतनः पैतृत्व छुट्टी पर जाने से तत्काल पहले लिया जा रहा वेतन ।

15. अध्ययन छुट्टी (नियम 50)

किसे मंजूर की जा सकती है ? स्थायी सरकारी कर्मचारी:

(क) जिसके लिए यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने परिवीक्षा पूरी कर ली है ।

(ख) जिसने 5 वर्ष की नियमित और लगातार सेवा पूरी कर ली हो, इसमें परिवीक्षा की अवधि भी शामिल है ।

(ग) जिसने निर्धारित प्रपत्र में एक बांड भरा हो कि वह अध्ययन छुट्टी समाप्त होने पर तीन वर्ष के लिए सरकारी सेवा करेगा, और

(घ) जो अध्ययन छुट्टी के समाप्त होने के 3 वर्ष के भीतर अधिवर्षिता की आयु तक नहीं पहुंचेगा ।

स्वीकार्यताः अध्ययन छुट्टी उन कर्मचारियों को स्वीकार्य है जो निम्नलिखित का अध्ययन कर रहे हों-

i) कार्यक्षेत्र से सीधे अथवा निकट संबंधित किसी व्यावसायिक अथवा तकनीकी विषय में उच्च अध्ययन अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण ।

ii) लोक प्रशासन के ढांचा अथवा पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन ।

iii) अध्ययन जो सिविल कर्मचारी के रूप में उसकी क्षमताओं को सुधारने के लिए उसकी बुद्धि में विस्तार करने वाले हो ।

iv) किसी आई ई एस/आई एस एस अधिकारी को पी एच डी पाठ्यक्रम करने के लिए ।

v) किसी विशेषज्ञ अथवा तकनीकी व्यक्ति को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ।

vi) किसी चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए ।

अध्ययन छुट्टी कब स्वीकार्य नहीं है?

i) भारत से बाहर अध्ययन का अनुसरण करने के लिए यदि भारत में ही पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों ।

ii) शैक्षणिक अथवा साहित्यिक विषयों के अलावा अन्य विषयों में अध्ययन का अनुसरण करने के लिए ।

iii) किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम के लिए जिसमें कि सरकारी कर्मचारी का अपने नियमित कार्य से संपर्क ही न रहे अथवा छुट्टी पर रहने के कारण उसकी अनुपस्थिति से संवर्ग कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएं।

मंजूरकर्ता प्राधिकारी? केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय/विभाग/आईएएडी में कार्यरत स्टाफ के मामले में भारत

का नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक - सीसीएस (छुट्टी) नियम की प्रथम अनुसूची ।

स्वीकार्य अध्ययन छुट्टी की अवधिः

1. साधारणतया एक बार में 12 महीने तथा

   - संपूर्ण सेवा काल में 24 महीने (अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के लिए किसी अन्य नियम के अधीन प्रदान की गई इसी प्रकार की छुट्टी सहित) ।

2. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के लिए **संपूर्ण सेवा काल के दौरान अधिकतम 36 माह** के लिए बशर्ते कि वह एक बांड भरे कि वह अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् पांचवर्षों तक सरकारी सेवा करेगा ।

3. **जवाहर लाल नेहरू अध्येतावृत्ति अर्जित करने के लिए -** अध्येतावृत्ति की संपूर्ण अवधि के लिए।

अध्ययन छुट्टी को अन्य प्रकार की छुट्टियों अवकाश सहित, के साथ जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि अनुपस्थिति की कुल अवधि - असाधारण छुट्टी को छोड़कर, सामान्यतया 28 महीने तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के मामले में 36 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह छुट्टी छुट्टी खाते में डेबिट नहीं की जाएगी ।

अध्ययन की अवधि से अधिक की अध्ययन छुट्टी का विनियमन - यदि अध्ययन की अवधि किसी कर्मचारी को प्रदत्त अध्ययन छुट्टी से कम पड़ जाती है, तो उसे अध्ययन अवधि के समाप्त होते ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए । कर्मचारी छुट्टी मंजूरकर्ता प्राधिकारी से शेष बची अध्ययन छुट्टी को साधारण छुट्टी के रूप में मानने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करे ।

किन शर्तों पर अध्ययन छुट्टी प्रदान की जा सकती है?

क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि लोक हित की दृष्टि से अध्ययन निश्चित लाभ प्रदान करेगा ।

भारत से बाहर अध्ययन छुट्टी के लिए -

ख) यह प्रमाणित किया जाता चाहिए कि अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारत में सुविधाएं नहीं हैं ।

ग) सरकारी कर्मचारी अध्ययन के पाठ्यक्रम परीक्षा के संबंध में पूर्णता/पास कर लिए जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

घ) अध्ययन छुट्टी बहुधा इस प्रकार प्रदान नहीं की जानी चाहिए कि जिससे सरकारी कर्मचारी का अपने नियमित कार्य से संपर्क ही न रहे अथवा जिससे छुट्टी पर रहने के कारण उसकी अनुपस्थिति से संवर्ग कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएं ।

ङ) अध्ययन छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि यह शैक्षिक अथवा साहित्यिक विषयों से इतर विषयों में अध्ययन जारी रखने के लिए न हो; निम्नलिखित मामलों को छोड़करः

i) किसी आई ई एस / आई एस एस अधिकारी को पी एच डी करने के लिए यदि मुख्य आर्थिक सलाहकार/निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन अनुसंधान के विषय और संस्थान जिसमें अनुसंधान किया जाना है, को अनुमोदित करें और यह प्रमाणित करें कि अध्ययन अधिकारी की कार्यकुशलता बढ़ाने के मामले में बहुत उपयोगी होगा।

ii) किसी चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा विज्ञान में किसी स्नाकोत्तर अध्ययन पाठ्यक्रम जारी करने के लिए यदि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं प्रमाणित कर देते हैं कि अध्ययन अधिकारी की कार्यकुशलता बढ़ाने के मामले में बहुत उपयोगी होगा ।

iii) किसी विशेषज्ञ अथवा तकनीकी व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए यदि विभागाध्यक्ष अथवा मंत्रालय/विभाग के सचिव यह प्रमाणित करें कि इस अध्ययन पाठ्यक्रम से:-

- वे अपने कार्यक्षेत्र में आधुनिक विकासों से अपने आपको अवगत रख पाने में सक्षम होंगे ।
- अपने तकनीकी मानकों (स्तरों) और कुशलता में सुधार ला पाएंगें और
- उससे वास्तविक रूप से विभाग को लाभ मिलेगा ।

यात्रा भत्ते और पाठ्यक्रम शुल्क का वहन कौन करेगा ?

- साधारणतया सरकारी कर्मचारी स्वयं वहन करेंगे । परन्तु, अपवादात्मक मामलों में, राष्ट्रपति ऐसे भत्ते अथवा शुल्क के भुगतान की मंजूरी दे सकते हैं ।

यदि बांड बाध्यता का उल्लंघन हो अथवा बांड में निरूपित शर्तें पूरी नहीं की जाती है यदि सरकारी कर्मचारी -

- अध्ययन पाठ्यक्रम पूरी न कर पाए, अथवा
- ड्यूटी पर लौटे बिना ही त्यागपत्र दे देते हैं/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है अथवा
- ड्यूटी पर लौटता है परन्तु त्यागपत्र दे देता है, अध्ययन छुट्टी के समाप्त होने पर 3 वर्ष की सेवा करने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है ।

ऐसे उल्लंघन के परिणाम

- अध्ययन छुट्टी को देय और स्वीकार्य छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर दिया जाता है। वेतन छुट्टी के अधिक भुगतान की वसूली की जाती है ।
- त्यागपत्र स्वीकार किए जाने अथवा सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दिए जाने से पहले निम्नलिखित के लिए ब्याज सहित वास्तविक राशि की वसूली की जाएगी -
- भारत सरकार द्वारा व्यय किए गए छुट्टी वेतन, अध्ययन भत्ते, शुल्क लागत, यात्रा और अन्य व्यय, यदि कोई हो, और
- अन्य एजेंसियों जैसे विदेशी सरकारों की संस्थाओं (फाउंडेशन) और न्यासों (ट्रस्ट) द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम पर किए गए खर्च ।

तथापि, यदि सरकारी कर्मचारी का चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की अथवा लोक हित में किसी ऐसे स्वायत्त अथवा सांविधिक निकाय अथवा संस्थान जिसमें अध्ययन छुट्टी से लौटने पर उसे सरकार द्वारा सेवा के लिए तैनात किया गया हो, में स्थायी रूप से विलन हेतु त्यागपत्र देने की अनुमति दी जाती है तो इस प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

छुट्टी वेतन भारत में अध्ययन छुट्टी

छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व ड्यूटी पर आहरित वेतन और उस पर यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता । सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि किसी अंशकालिक नौकरी के लिए वजीफे, छात्रवृत्ति अथवा पारिश्रमिक के रूप में कोई राशि प्राप्त की गई हो तो इस राशि में वह राशि कम कर दी जाएगी । तथापि, निवल छुट्टी वेतन, अर्ध वेतन छुट्टी पर स्वीकार्य छुट्टी वेतन से कम नहीं होगा ।

भारत से बाहर अध्ययन छुट्टी

छुट्टी पर जाने से तत्काल पहले ड्यूटी पर आहरित वेतन और उस पर मंहगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता तथा निर्धारित दरों पर अध्ययन भत्ता । यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अंशकालिक नौकरी के लिए कोई वजीफा, छात्रवृत्ति अथवा पारिश्रमिक राशि प्राप्त की जाती है तो शुल्क के रूप में यदि कोई राशि अदा की गई हो, उसकी कटौती के बाद, अध्ययन भत्ते में उसे समायोजित किया जाएगा यदि वजीफे आदि की राशि कम हो तो शेष राशि का भुगतान अध्ययन भत्ते के रूप में किया जाएगा और यदि यह राशि अधिक हो तो अध्ययन भत्ता के रूप में कोई अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

टिप्पणीः **छुट्टी वेतन में भत्ते, जैसे मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्वीकार्य होगा ।**

16. छुट्टी नकदीकरण (नियम 39)

अर्जित छुट्टी

16.1 छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपनी आरे से निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में एक आदेश जारी करेंगे जिसमें संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा के अंतिम दिन उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी, यदि कोई हो, अधिकतम 300 दिन के लिए छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि प्रदान की जाएगी:-

i) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति ।

ii) ऐसे मामले जहां अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से लोकहित में सेवा बढ़ाई गई हो।

iii) स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवानिवृत्ति ।

iv) जहां नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवाएं नोटिस द्वारा अथवा नोटिस की जगह वेतन और भत्तों के भुगतान द्वारा अथवा अन्यथा समाप्त की जाती हैं ।

v) सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन की समाप्ति ।

vi) सेवा में रहते हुए मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को ।

vii) चिकित्सा आधार पर अमान्य होने पर ।

viii) पेंशन में कमी किए बिना दंडस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।

ix) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय जो पूर्णतः अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के सवामित्व अथवा नियंत्रण में हो, में आमेलन ।

x) आद्योगिक स्थापना में स्थानांतरण ।

16.2 संविदा आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रथम दो वर्षो के लिए भी, अर्जित छुट्टी का नकदीकरण कराने की अनुमति होगी, बशर्ते कि संविदा के समाप्त होने पर दिनों की कुल संख्या जिसका नकदीकरण स्वीकार्य है अर्जित अवकाश अथवा पूर्ण वेतन छुट्टी के दिनों की संख्या जिसका कि सरकार के अधीन पूर्व नियुक्तियों के दौरान पहले ही नकदीकरण कराया जा चुका है को मिलाकर 300 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

16.3. जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से सेवा से त्यागपत्र दे अथवा सेवा छोडे. तो उस स्थिति में सेवा समाप्ति की तारीख को खाते में जमा छुट्टी का आधा और अधिकतम 150 दिन की छुट्टी का नकदीकरण किया जाना चाहिए ।

16.4. छुट्टी यात्रा रियायत के लिए एक बार में 10 दिन तक की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण अनुज्ञेय है बशर्ते कि -

क) सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान इस प्रकार से भुनायी गई कुल छुट्टी 60 दिन से अधिक न हो।

ख) छुट्टी और भुनायी गई छुट्टी की अवधि को जोड़ने के बाद खाते में कम से 30 दिन की अर्जित छुट्टी शेष हो और

ग) भुनायी गई छुट्टी की अवधि की अधिवर्षिता के समय सामान्यतः भुनायी जा सकने वाली छुट्टी की मात्रा में से कटौती नहीं की जाएगी।

घ) परिवार के एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण स्वीकार्य है। (डीओपीटी एफएक्यू दिनांक 25.3.2013) ।

16.5 छुट्टी वेतन के बराबर नकद में वेतन जमा उस पर उपयुक्त मंहगाई भत्ता शामिल होता है ।

<u>गणना के लिए फार्मूला:</u>

<u>(वेतन + मंहगाई भत्ता) एलटीसी लेने की तारीख को स्वीकार्य X अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या (एक बार में अधिकतम 10 दिन) /30</u>

सीमाएंः कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा । छुट्टी नकदीकरण के लिए विशेष वेतन की गणना की जाती है परन्तु विशेष वेतन पर मंहगाई भत्ते की गणना नहीं होती। इस प्रयोजनार्थ परिवार नियोजन और हिंदी शिक्षण योजना के लिए वैयक्तिक वेतन की गणना नहीं की जाती ।

अर्ध वेतन छुट्टी

16.6 अर्जित अवकाश तथा अर्ध-वेतन अवकाश दोनों पर छुट्टी नकदीकरण के लिए विचार किया जाएगा, यह **300** दिनों की समग्र सीमा के अध्यधीन है । अजिर्त अवकाश के समतुल्य देय नकद अपरिवर्तित रहेगा । तथापि अर्ध-वेतन अवकाश के समतुल्य देय नकद अर्ध-वेतन अवकाश के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन जमा छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता के बराबर होगा । इसमें पेंशन तथा देय अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी । कम पड़ रहीं अर्जित अवकाश को पूरा करने के लिए अर्ध-वेतन छुट्टी घटक के समतुल्य नकद का नीचे दिए गए अनुसार परिकलन किया जाएगाः-

(यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा यदि केवल अर्जित अवकाश का नकदीकरण देय और प्रदान किया गया है जो अधिकतम 300 दिन तक होना चाहिए ।)

गणना का फार्मूला

अर्ध वेतन छुट्टी घटक के स्थान पर नकद भुगतान	=	सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य जमा अर्धवेतन छुट्टी + उस तारीख को स्वीकार्य डीए --- 30	**X**	अर्ध वेतन छुट्टी के दिनों की संख्या पर अध्यधीन अर्जित अवकाश के योग + अर्ध वेतन छुट्टी 300 दिन स अधिक नहीं

अर्ध वेतन छुट्टी के नगदीकरण के लिए कोई मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है ।

(केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972- निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955

भा.स. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, का.ज्ञा.सं.18017/1/2014-स्था(एल), दिनांक 25.02.2015

पैरा 5: निशक्तता के संबध में चिकित्सा प्रमाणपत्र पर आवेदित छुट्टी को बिना चिकित्सा प्राधिकारी को संदर्भित किए, जिसकी सलाह बाध्यकारी होगी, अस्वीकार अथवा रद्द नहीं किया जाना चाहिए। नियम 12 में दिए गए अधिकतम स्वीकार्य सीमा को निशक्तता के संबध में चिकित्सा प्रमाणपत्र पर आवेदित छुट्टी पर लागू नहीं किया जाना चाहिए । सरकारी कर्मचारी के अयोग्य घोषित किए जाने पर उस अवधि के लिए डेबिट की गई किसी भी छुट्टी को उसके छुट्टी खाते में वापस डाला जाएगा ।

****